

207/समाप्त/16

पंजी क्रमांक

विषय :-

WP 813/2016 श्रीमती कल्याण बाजपेयी  
निलंबित सक्षमता जाह्नव शास्त्री

सचिव मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग

के इमेल आईडी 474-475/समाप्त/16 डि० 4-3-18

शा. विभाग में पेश की गई है

शिक्षा की दिशा में कक्षा परिसर को

जारी करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की

संज्ञा को

रूप में,

प्रतिरक्षण आदेश देते हैं

विधि - विभाग को अतिरिक्त  
चाहें।

आयुक्त/सचिव


विधि - विभाग

11/03/16

11/3

उमाकान्त उमराव  
सचिव/आयुक्त

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग



7701  
C.R.



284/समप्र/16

पंजी क्रमांक.

विषय :-

WP 813/2016 श्रीमती कल्पना राजपूत  
निलंबित सचिव का सम्मानन विरुद्ध शासन

आज्ञाकारी उच्च न्यायालय न्यायाधीश  
श्रीमती जयिका उमावत WP 813/16 श्रीमती  
कल्पना राजपूत विरुद्ध शासन का सुविचारित मूल  
कोर्ट फिलिम करीब निर्णय एवं दोबारा सुनवाई  
होने जिन के संबंध में फिलिम शासन की है

श्रीमती उमावत शासन उच्च शिक्षा  
न्यायालय के प्रभारी अधिकारी वनायिका श्री  
अनुराधा बालाचंद्रा आदि अन्य हैं श्री प्रभारी  
अधिकारी निम्नलिखित आदेश की सिद्ध प्रतिक्रिया में  
आज्ञाकारी उच्च न्यायालय

श्रीमती. सं-पाठक न्यायाधीश की  
आगामी अतिथि वनायिका श्री  
एड. अनुमोदन करना पाठ्य/  
स्वच्छ प्रति हस्ताक्षर

आयुक्त

प्रमुख

29/02/16

जा-5

4-3

29/02/16  
33/16

04347504103/16  
प-3-16



2  
28-2-16

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at  
GWALIOR**

Process Id: 5132/2016

WP/813/2016

अशासकीय आवक.....  
दि. ....

7/14  
25/2/16  
**FOR ADMISSION  
Fixed for 21-03-2016  
DA- 05  
Respondent No. 2  
RAD**

From

Deputy Registrar,  
High Court of MP  
Bench at Gwalior

To,

The Commissioner,  
Higher Education Department,  
Govt. of M.P., Satpura Bhawan, Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 15-02-2016

ग्या. प्र.  
25-2-16  
Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 813/ 2016

Sir/Madam,

2184  
17-02-16

I am directed to inform you that one **Smt. Karuna Bajpai** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/813/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **21-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

S. Gupta  
16-2-16  
**SECTION OFFICER  
Section Officer  
High Court Of Madhya Pradesh  
Bench Gwalior**



मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 474/284/2014/16 मोपाल, दिनांक 4-3-16  
सिविल प्रक्रिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा  
-1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरि लिखित मोपाल का आदेश बिना।

-1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त सेचलक उच्च शिक्षा को यादिका कमांक WP. 8.13/16

आलोचना-प्रतिक्रिया जवाब (पक्षकारों के नाम) आलोचना-प्रतिक्रिया जवाब

(पक्षकारों के नाम) श्रीमती. कमला बापुपेयी निवासी मलका  
पञ्चायत, माला, माला, माला, माला, माला

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अनिवार्य पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् बादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

2/ समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिकारियों से सम्पर्क करेगा ।

4/ शासकीय अधिकारिता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।

5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

1/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका ।

2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप ।

3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय को समस्त प्रस्तुत किया जाना है।

4/ मामले विशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा।

7/ जय भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।

8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिकता की सार अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।



9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हो।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभावी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मदद/सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जाये।

12/ महत्वपूर्ण/नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र आवेदन दायर कर विलोपित करवाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक

4-3-16

पृष्ठ 0000 425/287  
प्रतिलिपि:- उशिवि/मंत्रालय/न्याय/ 16

- 1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर संभाग म.प्र. की ओर।
- 2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्याचल भवन भोपाल
- 3/ संबंधित जिलाध्यक्ष जालिण्ड (म.प्र.) मध्यप्रदेश।
- 4/ प्रभारी अधिकारी को और अग्रोपित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलों में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जायें, मामले की सुनवाई की तारीख की सुनवाई हेतु निरुद्ध की गई थी/है।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

425/287